महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 103वीं बैठक

दिनांक

14 फरवरी, 2023

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 103वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
4. डॉ. विभा शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) — सदस्य
5. डॉ. पंकज चौधरी, (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
6. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
7. श्री सुनिल शर्मा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर **(ऑनलाईन उपस्थित हुए)** — सदस्य
8. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, (प्रमुख शासन सचिव,वित्त/संभागीय आयुक्त, अजमेर, के प्रतिनिधि) — सदस्य
9. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित सदस्यों का अध्यक्ष महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं 01	विद्या परिषद् की 70वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	

मद सं. 02	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** **(1) प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षान्त समारोह के आयोजन की तिथि 15 फरवरी, 2023 की अति निकटता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10.01.2023 की अनुपालना में नोटिफिकेशन नं. F 13 ( ) Acad-I/MDSU/2011/19327 दिनांक 11.05.2011 में वर्णित नियम 08 में योग्यता सूचियों के प्रकाशन/वेबसाईट पर अपलोड करने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ एवं आपत्तियां आमंत्रित करने की समयावधि 30 दिवस के स्थान पर 07 दिवस की गई । इस क्रम में अधिसूचना क्रमांक मदसविवि/परीक्षा-पी.जी./2023/287 दिनांक 04 फरवरी, 2023 जारी की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-02)**	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 03	राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग (A-Gr.II)द्वारा जारी नोटिफिकेशन No. F.7(2) DOP/A-II/2006 Pt.I Jaipur dated 14-03-2016 को प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के मद संख्या 26 के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2022/1598-1605 दिनांक 13.01.2023 के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया जा चुका है जिसके तहत सहायक कर्मचारी के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत हेतु शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी एवं आर.एस.सी.आई.टी. सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक है । विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक कर्मचारियों की कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों हेतु पदोन्नति पर कार्मिकों को आर.एस.सी.आई.टी. सर्टिफिकेट कोर्स 01 वर्ष में उत्तीर्ण करने की शिथिलता प्रदान करने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-03)**	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 13.01.2023 को इस संबंध में आदेश निर्गत किये जा चुके है । अतः वर्ष 2022-23 तक उपलब्ध रिक्त पदों पर सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत होने वाले कार्मिकों को उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 06 माह के भीतर आयोजित होने वाली आर.एस.सी.आई.टी. की परीक्षा को उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में आर.एस.सी.आई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना**	

	होगा । यदि 06 माह के भीतर आर.एस.सी.आई.टी. की परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से आयोजित होनें वाली प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में आर.एस.सी. आई.टी. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा । यदि प्रोन्नत कार्मिक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उन्हें पूर्व में कार्यरत पद पर पदावनत (Revert) कर दिया जाय । इनके प्रोन्नति के आदेश तुरन्त प्रभाव से निर्गत किये जाय ।	
मद सं. 04	छात्रसंघ अध्यक्ष द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत पत्र में विश्वविद्यालय छात्रा सुश्री आस्था गौतम की जनवरी, 2023 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी माताजी को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं घायल विद्यार्थियों का पूरा उपचार खर्च विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उठाने हेतु निवेदन किया है । प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-04)**	**छात्र कल्याण केन्द्र/कुलसचिव**
निर्णय	**विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसे आर्थिक सहायता दिये जाने का विश्वविद्यालय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने अवगत कराया कि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा सहायता राशि के रूप में राशि रूपये 1.00 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है । अतः छात्रा सुश्री आस्था गौतम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी माताजी के को जिला कलक्टर महोदय से राशि रूपये 1.00 लाख दिलवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 05	**उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः-** **1. वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड के नामित सदस्य प्रो. मनोज कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर प्रो. शिव दयाल सिंह को वित्त समिति में प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य नामित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	**वित्त एवं लेखा**

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव